ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खण्ड व तहसील देहरा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के

लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2020 से 31-03-2022

भाग-एक

1. **प्रस्तावना**

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 04/20 से 03/22 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति सुमन देवी	23-01-2016 से 22-01-2021
2.	श्रीमति अंजना देवी	23-01-2021 से 31-03-2022

सचिव :

क्रम संख्या	**नाम**	**अवधि**
1.	श्रीमति सपना देवी	01-04-2020 से 31-03-2022

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**पैरा स०**	**राशि {` लाखों में }**
1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	5	45.85
2	प्रियासॉफ्ट एवं मैनुअल संधारित रोकड़ बहियों के शेषों व बैंक शेषों में लाखों में अन्तर	6	10.01

3	पंचायत राजस्व (सम्पत्ति कर) वसूली हेतु शेष पाया जाना	7.1	0.87
4	निर्माण कार्यों के प्राक्कलन तैयार किया बिना अनियमित व्यय	8	8.15
5	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करने से सम्भावित राजस्व हानि	8.1	1.23
6	स्त्रोत पर टी० डी० एस० की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि	8.2	0.08
7	मूल्याकंन (Assessment) के बिना के निर्माण कार्य का भुगतान करना	8.3	.21
8	नियमानुसार औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टोर/स्टॉक का क्रय करना	9.1	0.85
9	क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे	9.2	0.04

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन

प्राय: यह देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जाती है जो अत्यंत चिंताजनक है। अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्यवाही करनी सुनिश्चित करवाए तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके। गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के अनिर्णीत पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नानुसार दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2014 से 03/2017 तक

1	पैरा 3	निर्णित	(अंकेक्षण शुल्क की प्राप्ति उपरान्त)
2	पैरा 4 (1, 2)	निर्णित	(वर्तमान अंकेक्षण में पुनः प्रारूपित)
3	पैरा 5	अनिर्णित	
4	पैरा 6	अनिर्णित	

5	पैरा 7	अनिर्णित	
6	पैरा 8	अनिर्णित	
7	पैरा 9	अनिर्णित	
8	पैरा 10	अनिर्णित	
9	पैरा 11	अनिर्णित	
10	पैरा 12	अनिर्णित	

भाग – दो

2 **वर्तमान अंकेक्षण:-**

ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01/04/2020 से 31/03/2022 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री अभिषेक कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 30-12-2022 से 03-01-2023 तक के दौरान पंचायत कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/21,08/21 तथा व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 01/21, 07/21 को चयनित किया गया।

अस्वीकरण :-

वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क:-**

ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 4/20 से 3/22 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर `6400/-बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि `6400/- को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:153 दिनांक 03.01.22

द्वारा सचिव, पंचायत ध्वाला से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में क्रॉस चेक संख्या 035731 दिनाकं 04-01-22 के माध्यम से अंकेक्षण शुल्क निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला - 171009 को प्रेषित कर दिया गया है I

4 **वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत ध्वाला द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 4/20 से 3/22 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

{क} स्व स्रोत:- ग्राम पंचायत ध्वाला के अवधि 04/20 से 03/22 तक स्व: स्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	490300.00	527757.00	1018057.00	91014.00	927043.00
2021-22	927043.00	82812.00	1009855.00	193524.00	816331.00

{ख} अनुदान :- ग्राम पंचायत ध्वाला के अवधि 04/20 से 03/22 के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2020-21	3612016.00	3819626.32	7431642.32	5664749.32	1766893.00
2021-22	1766893.00	6392741.10	8159634.10	3574275.50	4585358.60

दिनांक 31-03-22 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACC NO	AMT
1	GENERAL	HGB	87860101841323	916598.00
2	GENERAL	PNB	2008005592	1587953.00
3	14FC	HDFC	50100222683878	888837.30
4	SBM	PNB	87860101848229	0.00
5	15TH FC	HDFC	50100339390779	2008514.30
6		CASH IN HAND	0	487.00
		TOTAL		**5402389.60**

4.1 बैंक समाधान विवरणी :-

दिनांक 31-03-22 को बैंक अनुसार अन्त शेष	` **5402389.60**
दिनांक 31-03-22 को वित्तीय स्थिति द्वारा अन्त शेष (क+ख)	` **5401689.60**
अन्तर	` 700.00

Bank Reconciliation statement as on 31-03-22

Bal as per cash book as on 31.03.22	**5401689.60**
ADD	
excess payment on dated 20-01-21v.no 82 (14THFC)	700.00
Bal as per pass book as on 31.03.22	**5402389.60**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (classified abstract) को तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुए एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का उद्देश्य आय व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ो का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई है। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार का निर्माण करना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 लेखा खाता /खाता बही तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 (1 से 3) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को प्रारूप 7 में लेखा खाता / खाता बही तैयार करने का प्रावधान है।

अंकेक्षण जाँच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020 -21 व 2021 -22 की अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार नहीं किए गए थे I वित्तीय वर्ष 2020 -21 व 2021 -22 की अवधि की खाता बहियाँ/ लेखा खाते तैयार न करने के कारण वर्तमान अंकेक्षण के दौरान इस तथ्य की पुष्टि सम्भव न हो सकी कि किस –किस कार्य हेतु कितनी – कितनी राशि प्राप्त हुई है व किस – किस कार्य पर कितना – कितना व्यय हुआ था I

अत: वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 व 2021-22 की अवधि की खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार करते हुए भविष्य में भी खाता बहियाँ /लेखा खाते तैयार किए जाने सुनिश्चित किए जाएँ I

4.4 पंचायत द्वारा खाता 'क' में अधिशेष निधि `8.16 लाख पर अधिक ब्याज प्राप्त करने के लिए इस राशि का सही विनिधान न करना

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार पंचायत अधिशेष धन को ऐसी रीति में, कि अधिकतम लाभ सुनिश्चित हो और जब संदेय निर्मुक्त किया जाने हो, निधियां भी उपलब्ध हों यथास्थिति अनुसूचित बैंको या डाकघर अथवा सरकारी प्रतिभूतियो में विनिधान कर सकेगी अधिशेष निधि से ग्राम पंचायत की वह रकम अभिप्रेत होगी जिसका संदाय छ: मास की अवधि के भीतर किया जाना अपेक्षित नहीं है I

ग्राम पंचायत धवाला, विकास खंड देहरा, जिला कांगड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि ग्राम पंचायत की सामान्य रोकड़ बही के बैंक खाते में दिनांक 31.03.22 को `816331.00 शेष थे जिस पर मात्र 3.25-3.50 % की दर से ब्याज अर्जित किया जा रहा था ग्राम पंचायत को इस राशि को अनुसूचित बैंको या डाकघर अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में विनिधान करना चाहिए था जिससे अधिक ब्याज दर से लाभ प्राप्त किया जा सकता था I

अत: इस राशि का सही विनिधान न कर पंचायत को आवर्ती राजस्व का नुकसान हो रहा था जोकि उपरोक्त नियमों की स्पष्ट अवहेलना है I

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 137 दिनांक 03.01.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ध्वाला से इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार इस निधि का सही विनिधान कर दिया जायेगा व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

5. अनुदान `45.85 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना :-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-22 तक अनुदान **`4585358.60** उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा।

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 140 दिनांक 03.01.22 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत ध्वाला से इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमानुसार राशियों का व्यय कर दिया जायेगा व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: शेष अनुदान राशि के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशि का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

5.2 3rd FC व SDP शीर्ष अनुदान से `1.00 लाख अधिक खर्च करने बारे

अंकेक्षण जांच में पाया गया कि दिनाकं 31-03-22 को 3rd वित आयोग के शीर्ष `65127/- से व SDP शीर्ष `35340/- से अधिक राशि खर्च कर ली गई थी जिसका व्यय सम्बन्धित शीर्ष से ही किया जाना अपेक्षित था जोकि नियमानुसार अनुचित था।

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 152 दिनांक 3.01.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उपरोक्त राशियों में 3rd वित्त आयोग शीर्ष `65127/- की राशि आगामी वित्त वर्ष में प्राप्त हो चुकी है व SDP शीर्ष की अंतिम किश्त शेष है I

अतः वस्तुस्थिति की पुष्टि करवाते हुए नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

6 **प्रियासॉफ्ट के तहत दर्ज की गई प्राप्ति/व्यय व मैनुअल रोकड़ बही में दर्ज किये गये आंकड़ो में अंतर, प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में `10.01 लाख अंतर**

पंचायती राज मंत्रायल भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम.एम.पी.) प्रारम्भ की गई थी I इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं /सामान खरीद /भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था I

अभिलेखों की जांच में पाया गया कि अंकेक्षणावधि हेतु चयनित माह के दौरान प्रियासॉफ्ट में दर्शायी गई प्राप्ति व व्यय के आंकड़ो व पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाए गये मैनुअल रोकड़ बही के आंकड़ो में निम्न अंतर पाया गया :-

(क) प्रियासॉफ्ट में दर्ज मासिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार मासिक खर्च में अंतर (except manrega)

क्रम स .	माह	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	मैनुअल रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	01/21	0.00	1123361.00	1123361.00	0.00	860353.00	860353.00
2	07/21	1151000.00	1192392.00	41392.00	12160.00	15376.00	3216.00

3	08/21	191444.00	188586.00	2858.00	0.00	60536.00	60536.00

(ख) प्रियासॉफ्ट में दर्ज वार्षिक प्राप्ति /व्यय व रोकड़ बही के अनुसार वार्षिक खर्च में अंतर **(except manrega)**

क्रम स .	वर्ष	प्राप्ति			भुगतान		
		प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर	प्रियासॉफ्ट के अनुसार	रोकड़ बही के अनुसार	अंतर
1	**2020-21**	1086226.00	2203619.00	1117393.00	3939378.00	3616892.00	322486.00
2	**2021-22**	3863685.00	4278359.00	414674.00	1411418.21	1570605.40	159187.19

(ग) प्रियासॉफ्ट में दर्शाए गए शेष व बैंक पास बुक+हस्तगत शेष की राशि के अनुसार अन्तर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-(except manrega)

वर्ष	प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष	बैंक पासबुक के अनुसार शेष	अंतर
03/22	4401820.00	5402389.60	1000569.60

अंकेक्षण अधियाचना सं 147 दिनांक 03.01.23 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सूचित किया गया, जिसकी अनुपालना में पत्रांक संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा सूचित किया गया कि उक्त अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण में अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः अन्तर के कारणों से अवगत करवाते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7.1 गृह कर का मांग व संग्रहण पंजिका न बनाया जाना व गृह कर की नियमित वसूली न करने के कारण `**0.87** लाख राजस्व की हानि

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है l

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हे प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा l

ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खंड देहरा, जिला काँगड़ा के अभिलेखों की जांच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर नहीं बनाया गया था l पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2020- 21 व 2021-22 के दौरान `50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था प्राप्त सूचना के अनुसार `86800/- की वसूली 31.03.2022 को शेष थी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2020-2021	857	40	48060	34280	82340	30940	51400
2021-2022	885	40	51400	35400	86800	0	86800

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि गृह कर की कोई भी नियमित वसूली नही की गई थी l मांग व वसूली रजिस्टर का सधारण पंचायती राज (वित्त) नियमावली, 2002 के नियम 33 व 77 (4) के अंतर्गत उल्लेखित प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का पता लगाया जा सके l इसके अतिरिक्त गृह कर का मांग व वसूली रजिस्टर का संधारण भी सही ढंग से नहीं किया गया था l अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना व गृह कर नियमित रूप से

वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है कि पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 136 दिनाकं 03.01.23 द्वारा ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया व पंचायत सचिव द्वारा प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि भविष्य में अधियाचना अनुसार गृह कर आरोपित कर नियमित वसूली की जाएगी और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

अतः नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. निर्माण कार्यो के प्राक्कलन किये बिना ही `8.15/- लाख का अनियमित व्यय करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 94 के अनुसार `50000 व इससे अधिक राशि के कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना नहीं किया जा सकता है।

निर्माण कार्यो से सम्बन्धित चयनित माह 01/21, 07/21 के व्यय वाउचरों की जांच करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत द्वारा निर्माण कार्यो का निष्पादन प्रशासनिक व तकनीकी स्वीकृति तथा प्राक्कलन तैयार किए बिना ही किया गया था, जोकि नियमो के अनुकूल न होने के कारण अनियमित एवं आपत्तिजनक है।

क्रम सं	निर्माण कार्य का नाम	दिनांक	शीर्षक	स्वीकृति राशि (`)
1	मुरमत रास्ता श्मशान घाट के पास वार्ड न०9	20.01.2021	14 FC	50000
2	C/O रास्ता देश राज के घर से नकेड खड तक	20.01.2021	14 FC	100000
3	C/O निकाशी नाली हरदेव के घर से मेहर चंद कर घर तक	20.01.2021	14 FC	70000
4	C/O एम्बुलेंस योग्य रास्ता खोबड़ा कलोनी	20.01.2021	14 FC	90000
5	C/O मैन रोड महिंदर सिंह के घर तक	20.01.2021	14 FC	50000
6	C/O स्नानघर गांब कुहु वार्ड न० 3	20.01.2021	14 FC	80000
7	C/O नाली माधो राम के घर से जगदीश के घर तक	20.01.2021	14 FC	75000
8	C/O रण सिंह के घर से प्रेम लाल के घर तक	20.01.2021	14 FC	50000

9	मुरमत रास्ता रख-रखाव वावडी नजदीक महिंदर सिंह के घर तक	20.01.2021	14 FC	200000
10	C/O मे. कुआँ निर्मला देवी की जमीन तक	20.01.2021	14 FC	50000
	कुल जोड़			**815000**

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-138 दिंनाक 03.01.23 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था I पंचायत सचिव द्वारा प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 के माध्यम से दिनांक 05.01.23 के माध्यम से तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा I

अतः नियमानुसार एवं वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

8.1 खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रायल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से `1.23 लाख की सम्भावित राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश उद्योग विभाग पत्र के पत्र संख्या 5-49/79 उद्योग रूल्स -2015 वोल –IV -1175 दिनाकं 12-05-2015 द्वारा हिमाचल प्रदेश माइनर (कनेक्शन) रूल्स 1971 का निरसन कर

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरलज (कनेक्शन) एंड मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ़ इललीगल माइनिंग, ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज) रूल्स 2015 को 13-03-2015 से लागू कर दिया गया है। इस नियम के अनुसार विकास कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए सप्लायर माइनिंग अधिकारी से अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त कर पंचायत को देना अनिवार्य है। यदि वह प्रमाण पत्र नही देता है , तो ग्राम पंचायत बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी को बिल से काटेगा और प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में मुख्य शीर्ष '0853' नॉन फैरस माइनिंग एवम मेटालजिकल इंडस्ट्रीज उपशीर्ष '102'मिनरलकन्शेस फीस किराया एवम रॉयल्टी '01' खनिज रियायत फीस आदि प्राप्ति '05'वेज एवम मीनज फीगरज में जमा करेगा।

ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खंड देहरा, जिला काँगड़ा द्वारा वर्ष 2020-21, 2021-22 मे रेत, बजरी पत्थर की खरीद की गई थी परन्तु पंचायत द्वारा रेत व बजरी की खरीद के लिए सप्लायर से न तो कोई रॉयल्टी काटी गई तथा न ही कोई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था।

अत: ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर से रॉयल्टी न काटा जाना तथा न ही कोई अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करना उपरोक्त नियमों की अवहेलना ही नहीं, बल्कि सरकारी राजस्व की हानि भी हुई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

नाम	मात्रा (cum)	फैक्टर	कुल मात्रा	दर (प्रति टन)	राशि
रेत (2020-2021)	298.41	1.62	483.42	60	29005
बजर (2020-2021)	594	1.52	902.88	60	54172
पत्थर (2020-2021)	183.42	2.24	410.86	60	24652
कुल (अ(					**107829**
रेत (2021-2022)	29.37	1.62	47.58	60	2855
बजरी (2021-2022)	78.16	1.52	118.80	60	7128
पत्थर (2021-2022)	41.37	2.24	92.67	60	5560
कुल (ब)					**15543**

कुल (ब+अ)					123372

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 146 दिनाकं 03.01.23 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे अवगत करवाया गया व उनके प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ो की पुष्टि के उपरांत कहा गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में रॉयल्टी नहीं काटी जा सकी । भविष्य में रॉयल्टी नियमानुसार वसूल कर ली जाएगी व की गई कार्यवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें ।

8.2 स्त्रोत पर टी० डी० एस ०की कटौती करने हेतु अपेक्षित अभिलेख संधारित न करने के कारण `0.08 लाख अधिक के सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि:-

आयकर की धारा 194 (c)में विहित प्रावधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर की धारा 194 (सी) में विहित प्रावधानों के अनुसार किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी भी व्यक्ति, संविदाकार अथवा फर्म को किये गए `30000/- से अधिक के किसी भी एकल भुगतान अथवा `100000/- से अधिक सकल भुगतान पर 2% की दर से व एकल व्यक्ति की अवस्था में 1% की दर से स्त्रोत पर कर की कटौती की जानी अपेक्षित है । आयकर विभाग से सम्बन्धित स्थाई खाता नंबर (PAN) संविदाकार के पास न होने की अवस्था में स्त्रोत पर कर की कटौती 20 % की दर से की जानी अपेक्षित है।

सचिव ग्राम पंचायत ध्वाला द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व चयनित माह के व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार विभिन्न फर्मों को भुगतान किया गया था, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी :-

क्रम संख्या	माह/ वा. संख्या	फर्म /व्यक्ति का नाम	भुगतान की गई राशि	स्त्रोत पर देय आयकर की राशि	दर	टिप्पणी

1	54 दिनाकं 25.01.2021	मै.रजनी कान्त	95741	1915	(2%)	निर्माण सामग्री
2	56 दिनाकं 25.01.2021	मै.रजनी कान्त	66066	1321	(2%)	निर्माण सामग्री
3	72 दिनाकं 25.01.2021	मै.रजनी कान्त	43212	864	(2%)	निर्माण सामग्री
4	89 दिनाकं 20.01.2021	मै.रजनी कान्त	30251	605	(2%)	निर्माण सामग्री
5	4 दिनाकं 6.07.2021	मै.रजनी कान्त	90073	1801	(2%)	निर्माण सामग्री
6	6 दिनाकं 6.07.2021	मै.रजनी कान्त	92171	1843	(2%)	निर्माण सामग्री
	कुल योग			8349/-		

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 150 दिनाकं 03.01.23 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस अनियमितता बारे अवगत करवाया गया व उनके प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ो की पुष्टि के उपरांत कहा गया कि नियमों की जानकारी के अभाव में स्त्रोत पर टी० डी० एस० नहीं काटा जा सका। भविष्य में स्त्रोत पर टी० डी० एस० नियमानुसार वसूल कर लिया जाएगा व की गई कार्यवाई से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अतः आश्वास्नानुसार नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

8.3 मूल्यांकन (Assessment) के बिना `0.21 लाख के निर्माण कार्य का भुगतान करना

प्रधान सचिव (ग्रा.वि. एब पं. रा.) हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र संख्या : एस एम एस - 17/2022 – आर डी डी (जी आर एस) दिनाकं 22-09-2009 के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार तकनीकी सहायक/कनिष्ठ अभियंता के मूल्याकंन के पश्चात ही पंचायत द्वारा भुगतान किया जायेगा|

जाँच में पाया गया कि निम्न विवरण के अनुसार पंचायत द्वारा `21173 का भुगतान मूल्याकंन के बिना किया गया था |

वाउचर संख्या, दिनाकं	Head	निर्माण कार्य का नाम	राशि
91 दिनाकं 21.17.2010	14th FC	मुरमत रख-रखाव वावडी शिव मन्दिर	21173

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-139 दिंनाक 03.01.23 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था । पंचायत सचिव द्वारा प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 के माध्यम से तथ्यो की पुष्टि के उपरांत कहा गया कि इस विषय पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः मूल्यांकन के बिना भुगतान को न्यायोचित ठहराते हुए नियमानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं सक्षम अधिकारी के मूल्यांकन के बिना भुगतानों पर अविलम्ब रोक लगाई जाए।

8.4 निर्माण कार्य C/O मे. कुआँ निर्मला देवी की जमीन तक के लिए `510 का अधिक भुगतान बारे

वाउचर संख्या 88 दिनांक 20.01.2021 की जांच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य C/O मे. कुआँ निर्मला देवी की जमीन तक मिक्सचर का उयोग किया गया था जिसके लिए `3300 (550 x 6 days) का भुगतान किया गया था परन्तु वास्तव में भुगतान योग्य राशि `2790 (465 x 6 days) बनती हे | जिसमे की ` 510 अधिक का अधिक भुगतान कर दिया गया था

उपरोक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 142 दिनांक 3.01.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु कारगर कदम उठाये जायें।

9 आपूर्तिकर्ता को `1760 का अधिक भुगतान बारे

अंकेक्षण द्वारा चयनित माह की जांच में पाया गया कि निम्नविवरणानुसार आपूर्तिकर्ता को निर्माण कार्य सामग्री के लिए अधिक भुगतान कर दिया गया था :-

क्रम संख्या	फर्म का नाम	वाउचर संख्या व दिनाकं	भुगतान की गई राशि	भुगतान योग्य राशि	अधिक भुगतान
1	रजनी कान्त	05दिनांक 06.07. 2021	(750 x 4) 3000	(630 x 4) 2520	480
2	रजनी कान्त	057दिनांक 06.07. 2021	(750 x 4) 3000	(630 x 4) 2520	480
3	रजनी कान्त	32 दिनांक 06.07. 2021	1000	900	100
4	रजनी कान्त	82 दिनांक 06.07. 2021	6645	5945	700
					1760

उक्त अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या 141,143 से 145 दिनांक 03 .01.2023 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त राशि की वसूली शीघ्र कर ली जाएगी व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए तथा ऐसे प्रकरणों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक कारगर कदम उठाये जाने सुनिश्चित किये जायें।

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही `0.85 लाख के स्टॉक/स्टोर का क्रय करना

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 67(4) व 67 (5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित है।

व्यय वाउचरों के जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा `84950 के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा एवं आपूर्ति आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने एवं बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ न उठाने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है।

क्रम संख्या	वा० संख्या, माह/वर्ष	फर्म का नाम	विवरण	राशि
15.	58 दिनाकं 25.01.2021	मै. राज इलेक्ट्रिकल	बिजली का सामान	11000
2	12 दिनाकं 14.07.2021	मै.अर्थ संख्या E डिजिटल	डिजिटल सिग्नेचर	3400
3	16 दिनाकं 14.07.2021	मै. जयंती इंटरप्राइजेज	रिपेयर प्रिंटर	1150
4	79 दिनाकं 20.07.2021	मै. रामेश्वेर हार्डवेयर	PVC पाइप	13000
5	24 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
6	25 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
7	26 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
8	27 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
9	28 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
10	29 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
11	30दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
12	31 दिनाकं 6.07.2021	मै. आकाश ट्रेडिंग	सरिया	**7050**
	कुल योग			**84950**

अंकेक्षण द्वारा अधियाचना सं 148 दिनांक 03.01.23 द्वारा इस अनियमितता बारे सचिव, ग्राम पंचायत ध्वाला को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया व चर्चा के दौरान अश्वासन दिया गया कि पूर्ण कार्यवाई करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा।

अत: स्टॉक/स्टोर का क्रय नियमानुसार न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए इस अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाते हुए नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9.2 राशि `0.04 लाख की क्रय सामग्री की स्टॉक प्रविष्टि न करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 69 व हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 135 के अनुसार प्रत्येक खरीद की स्टॉक प्रविष्टि स्टॉक रजिस्टर में करना अनिवार्य है।

अंकेक्षण में पाया गया कि निम्नलिखित विवरणानुसार पंचायत द्वारा **`3720/** के स्टॉक प्रविष्टि नहीं की गई थी:-

क्रम संख्या	वा० संख्या वर्ष/माह,	फर्म का नाम	विवरण	राशि
.1	59 दिनाकं27.01.2021	मै. जगत राम शर्मा	CASH BOOK	160
2.	12 दिनाकं 14.07.2021	मै.अर्थ संख्या E डिजिटल	डिजिटल सिग्नेचर	3400
3	20 दिनाकं 19.07.2021	मै. लोटस बुक स्टोर	PROCEDING BOOK	**160**
	कुल योग			**3720/-**

उक्त अनियमितता का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 149 दिनांक 03.01.23 के अन्तर्गत सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया उनके प्रति उतर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा स्पष्ट किया कि भण्डार रजिस्टरों में क्रय किए गए सामान की स्टॉक प्रविष्टियाँ अंकेक्षण करने के उपरान्त कर दी गई है।

अतः वांछित अभिलेख सत्यापना हेतु अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

10 विविध अनियमितताएं :-

ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों का निष्पादन करने हेतु हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 93 (ए)(1) के अन्तर्गत एक अनुभागी समिति बनाए

जाने का प्रावधान है जिसकी अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

11 विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाव नहीं किया गया था,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त बारे अंकेक्षण अधियाचना सं 151 दिनांक 03.01.23 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को अवगत करवाया गया व उनके प्रतिउत्तर संख्या GPD/02/2022-23 दिनांक 05.01.23 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा। अत: कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	**रजिस्टर/अभिलेख**	**फार्म संख्या**	**संदर्भित नियम**
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	रसीद स्टॉक रजिस्टर	4	13(5)
3	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
4	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
5	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
6	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
11	Technical Check And Technical Estimate	31	95(1)
12	बिल अदायगी रजिस्टर		

12 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

13 **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। इसे संस्था को अलग से जारी नहीं किया गया है।

14 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता / –
(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2020046

पृष्ठांकन संख्याः फिन (एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)137 / 2017–खण्ड–14083–86 दिनाँक 09.05.2023, शिमला–09,

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 जिला पंचायत अधिकारी कांगड़ा, जिला कांगड़ा, हि0प्र0।

3 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 4 सचिव, ग्राम पंचायत ध्वाला, विकास खण्ड देहरा, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

हस्ता / –
(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2020046